

‘गुरु गोविन्द सिंह के पंज प्यारों में एक द्वारका (गुजरात) के थे तथा मेरी तरह औ.बी.सी. भी थे’

पटियाला में आयोजित रैली में प्र.मंत्री मोदी ने पंज प्यारे मोखम सिंह की याद दिलायी। मोखम सिंह को गुरु गोविन्द सिंह ने भाई मोखम सिंह का नाम दिया था

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 मई। प्रधानमंत्री मोदी का शनिवार के पंजाब में किए गए इस दावे कि गुरु गोविन्द सिंह के पंज प्यारों में से एक मेरी तरह पिछड़े थे, की देशभर में और खासतौर पंजाब में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान के सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग है। मोदी इससे पहले मुसलमानों और ईसाईयों के बीच दीर्घ एवं मजबूत संबंधों का जिक्र कर चुके हैं। इस बार उन्होंने शनिवार को पटियाला में आयोजित एक चुनावी रैली में गुरु गोविन्द सिंह के “पंज प्यारों” का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि “आप ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए। मेरा तो आप से खून का रिश्ता है। गुरु गोविन्द जी के पंज प्यारों में से एक द्वारका के रहने वाले थे। मोदी मोखम चंद का जिक्र कर रहे थे जिनका जन्म द्वारका में तीरथ

- प्र.मंत्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि, “आप ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिये, मेरा तो आप से खून का रिश्ता है, गुरु गोविंद जी के पंज प्यारों में से एक मेरे इतवारी काका थे।”
- इतिहासकारों व पंजाब के इतिहास के ज्ञाताओं के अनुसार कई नीची जातियों के लोग, जो सवर्णों के सताये थे, “सिखिज्म” की ओर आकर्षित हुए तथा इसी कारण से मोखम सिंह, जो नीची जाति के थे, गुरु गोविंद सिंह के उद्गारों से प्रेरित हो कर 1685 में द्वारका से पंजाब आनंदपुर साहिब आये थे।
- वे अस शस का प्रशिक्षण पाकर, गुरु गोविंद सिंह की सेना में शामिल हुए।
- मोखम सिंह के समर्पण, अनुशासन व वफादारी को देखकर, गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें पंज प्यारों में शामिल किया।

चंद और देवी भाई के यहाँ हुआ था। गुरु गोविन्द सिंह ने उनका नाम भाई मोखम

“वोट के लिए मोदी कुछ भी करेगा।” उन्होंने ध्यान दिलाया कि पंज प्यारे भाई मोखम सिंह की जन्मस्थली से अपना संबंध जोड़ने की कोशिश में मोदी इस बात को ज्यादा ही खींच रहे हैं।

इतिहासकारों और पंजाब के इतिहास के जाने-माने विशेषज्ञों के अनुसार देश में ऊंची जातियों से उल्लिखित नीची जातियों के कई लोग सिख धर्म की ओर आकर्षित हुए।

मोखम सिंह नीची मानी जाने वाली एक जाति के थे। वे गुरु गोविन्द सिंह की शिक्षाओं से प्रेरित होकर पंजाब आए। विशेषज्ञों ने बताया कि “संयोग से, उनके पंजाब आगमन के वक्त नीची जातियों के लोग जातिगत प्रथा से खुश नहीं थे और उनका पंजाब आना इस प्रथा के खिलाफ विरोध का भी एक हिस्सा था।” वे आनंदपुर साहिब में गुरु गोविन्द सिंह की शरण में तब आए जब गुरु गोविन्द सिंह वहाँ मुगलों से संघर्ष कर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तृणमूल के खिलाफ विज्ञापन, भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 मई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा पारित 22 मई के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया जिसमें वर्तमान लोकसभा चुनाव की गतिविधि के दौरान भाजपा के ऐसा विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगाई थी जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) का अपमान करने वाला

- कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद इस विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी भाजपा को झटका दिया और याचिका खारिज कर दी तथा कहा कि, कटुता बढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकते।

हो, कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया टी.एम.सी. के खिलाफ भाजपा का विज्ञापन “अपमानित” करने वाले हैं।

ग्रीष्मवर्षाकालीन बैंच के न्यायाधीश जे.के. महेश्वरी व न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथन ने कहा, वर्तमान आम चुनावों के बीच टी.एम.सी. को लक्षित करके भाजपा ने जो विज्ञापन जारी किए हैं वो “लज्जित” (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इण्डिया गठबंधन ने एक जून को अपने नेताओं की बैठक बुलायी

गठबंधन का आकलन है कि, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी, पर बहुमत नहीं पा सकेगी चुनाव के बाद, पर, इण्डिया गठबंधन सबसे बड़ा “समूह” होगा

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 मई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जून को दोपहर बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाई है इसी दिन 2024 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान है। खड़गे के इस कदम को मनोवैज्ञानिक जंग का एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

अंतिम दिनों में दो कथानक चल रहे हैं एक तो यह कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी पर लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक 272 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। दूसरा यह कि इंडिया ब्लॉक सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरेगा।

चार जून को चुनाव नतीजे आने से पहले एक जून को मीटिंग कर इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के नेता यह बताना चाहते हैं कि वे पूरी तरह से चौकस हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गोवा में सरकार गिरी है उसे देखते हुए विपक्षी नेता इस बार सरकार बनने का अवसर लपक लेना चाहते हैं। इसी के साथ विपक्षी नेता यह संदेश भी देना चाहते हैं। कि उन्हें यकीन है कि सरकार

- इण्डिया गठबंधन सबसे बड़े ग्रुप के रूप में अपना दावा पेश करेगा।
- एक जून को बैठक बुलाने का एक कारण यह भी है कि, दो जून को केजरीवाल को पुनः तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करना है।
- अतः इण्डिया गठबंधन की चुनाव बाद की रणनीति पर, केजरीवाल के सोच को भी जान लेना चाहते हैं।
- एक जून को इण्डिया गठबंधन का नेतृत्व, सभी क्षेत्रीय पार्टियों से पूरा व सच्चा आकलन चाहता है कि, वे कितनी सीट जीतेंगे अपने क्षेत्र में।
- इसके बाद बैठक में तटस्थ पार्टियों, जैसे बी.जे.डी. व वाय.एस.आर. से कैसे और क्या बातचीत हो यह निश्चित किया जायेगा।

बनाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वे ही होंगे। एक जून का चयन इसलिए भी किया गया है क्योंकि 2 जून को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पुनः जेल जाने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक के नेता विपक्षी गठबंधन की भावी कार्यवाही के संदर्भ में उनका रुख भी जानना चाहते हैं। सरकार में वापसी की उम्मीद में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिया गठबंधन के नेता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा करने वाले हैं। मीटिंग में क्षेत्रीय नेताओं द्वारा अपनी सीटों के बारे में ईमानदार फीडबैक देने की उम्मीद है। एकता का संकल्प भी जोर शोर से दोहराए जाने की उम्मीद है साथ ही तटस्थ दलों को साथ लाने पर भी चर्चा होगी। इनमें बीजू जनता दल और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंगाल में “रेमल” तूफान से सात लोगों की मौत

हालांकि, रेमल का फोकस व टारगेट बंगलादेश था, पर, प. बंगाल के दक्षिण व तटीय क्षेत्र में भी काफी प्रकोप दिखा तूफान से

—अंजन राय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 मई। पश्चिम बंगाल खतरनाक चक्रवाती तूफान के प्रकोप की चपेट में है जो सुन्दरबन और उसके आस-पास के इलाकों में आया था हालांकि उसका मुख्य केन्द्र बांग्लादेश में था।

राज्य में तूफान के कारण कम से कम सात लोगों की मौत हो गयी है। ये मौतें, घरों के गिरने, पानी से भरे गड्ढों में बिजली के टूटने हुए बिना तारों के संपर्क में करंट लगने से हुई हैं। जहाँ तक आम चुनावों की बात है, इस तूफान ने सरकार के राहत कार्यों पर सवाल उठाये हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने यद्यपि, दावा किया है कि, राज्य सरकार ने समुचित राहत कार्य किए हैं। राज्य में इस तरह के खतरनाक तूफान अक्सर आते रहते हैं। गत कुछ

- तटीय क्षेत्र में बसे गांवों की तूफान से सुरक्षा के लिये, मिट्टी के बांध बनाये गये हैं चारों तरफ तथा लट, जो कि, निरन्तर पानी के भार से काफी जीर्ण-क्षीण अवस्था में हैं, को भी सुदृढ़ बनाने के लिये काफी पैसा खर्च होना दिखाया गया है किताबों में, पर, वास्तविक स्थिति में इस तैयारी के लक्षण नज़र नहीं आते।

वर्षों में राज्य ने अफान, आलिया और अब रेमल जैसे तूफानों का सामना किया है। साल-दर-साल, बंगाल के दक्षिणी जिले और तटीय इलाके, उन तूफानों के प्रकोपों के लिए ज्यादा संवेदनशील रहे हैं।

वर्तमान चक्रवाती तूफान, रेमल ने सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, बिजली के कनेक्शन टूट गये हैं, पेड़ जड़ से उखड़ गये हैं और बहुत से घर टूटकर गिर गये हैं। जगह-जगह पानी भरने और पानी भरे गड्ढों में

31 मई को एस.आई.टी. के सामने उपस्थित होंगे प्रज्वल रैवज्ञा

—लक्ष्मण वेंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 मई। जनता दल (सैकुलर) के सांसद प्रज्वल रैवज्ञा 31 मई को स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम

- बताया जाता है कि, ऐसा करने के लिए प्रज्वल पर उनके परिवार, खासकर दादा एच.डी. देवेगौड़ा एवं सहयोगी पार्टी भाजपा का भारी दबाव है।

(एस.आई.टी.) के समक्ष उपस्थित होने की बात कही है, समझा जा रहा है यह पारिवारिक खासकर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जो प्रज्वल के दादा हैं, और एन.डी.ए. में सहयोगी दल भाजपा के भारी दबाव के कारण है।

जर्मनी से जारी किए एक वीडियो में, रैवज्ञा ने कहा कि, वह उनके खिलाफ होने वाली जांच में पूर्ण सहयोग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आशंकित व अचंभित क्यों हैं हाईकोर्ट के वकील, जॉर्ज चौधरी की नियुक्ति से?

वकीलों को कांग्रेस या भाजपा की विचारधारा के आधार पर दो खेमों में बांटना उचित नहीं

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर, 27 मई। नई भाजपा सरकार ने भारी स्फूर्ति से अपना कार्यभार तो संभाला पर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता व अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति क्यों नहीं की थी, उससे कई लोग अचंभित थे। सरकार के गठन के तीन माह बाद तक भी जयपुर व जोधपुर स्थित हाईकोर्टों में पिछली सरकारों के मुकाबले काफी कम संख्या में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किये गये। पर्याप्त अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किये जाने की वजह से पैरवी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी और जयपुर स्थित हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर एक ही माह में तीन बार जमाना लगाया। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि भाजपा सरकार को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्ति करने के लिये सुदृढ़ उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। अब इस धारणा को और हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि राज्य सरकार अब उन वकीलों को कई चुनिंदा मामलों में

- भूतकाल में ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां राज्य सरकारों के बदलने के बाद भी महाधिवक्ता को नहीं बदला गया, क्योंकि सरकार उन वकीलों की सत्यनिष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकती थी।
- परंतु इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ए.आई.सी.सी. में “ह्यूमन राइट सैल” के अध्यक्ष थे और ए.आई.सी.सी. सचिव भी। इससे यह भी पता चलता है कि, अनूप जॉर्ज चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागणों के करीब थे।
- कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी सबसे बड़ी और सबसे प्रबल विपक्षी पार्टियां हैं, परंतु कांग्रेस संगठन में सचिव रहे अधिवक्ता का भाजपा सरकार के लिये अदालत में पैरवी के लिये पेश होना शायद पहला उदाहरण है। अनूप जॉर्ज का राज्य सरकार की ओर से पैरवी करना और भी विचित्र इसलिये लगता है क्योंकि वह उच्च शिक्षा विभाग के एक अत्यंत ही विवादित मामले की पैरवी के लिये ही आ रहे हैं।

पैरवी के लिये नियुक्त कर रही है जिन्हें सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के समीप

माना जाता है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी व उनके नेताओं के पक्ष में पैरवी भी की है।

हालांकि अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत विचारधारा उसकी योग्यता का माप नहीं है, और शायद इस सरकार के लिये भी व्यक्ति विशेष की विचारधारा उसे सरकार की पैरवी करने के लिये अयोग्य साबित नहीं करती है। परंतु हाईकोर्ट के गलियारों में यह चर्चा का विषय तो जरूर है कि वे वकील जो भाजपा कार्यकर्ताओं व पार्टी के लिये केस लड़ते रहे हैं, और पार्टी की विचारधारा के भी समीप हैं, उन्हें वर्तमान सरकार अतिरिक्त महाधिवक्ता घोषित करने के लिये प्रथम विकल्प के तौर पर क्यों नहीं देखे रही हैं? एक नाम जो चर्चाओं में बार-बार उभर कर सामने आता है, वह वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी का है, जो राज्य सरकार की ओर से एक अत्यंत विवादित मामले में “उच्च शिक्षा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो गर्दन वाले हंस की कहानी.....(2)

व्यक्ति प्रधान राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, पर राजस्थान कांग्रेस शासन में व्यक्तिवादी राजनीति के कटु अनुभव को भुगत चुका है

—विशेष प्रतिनिधि द्वारा—
जयपुर, 27 मई। व्यक्ति प्रधान राजनीति या प्रशासन की बात करते ही मुंह में कुछ कड़वाहट सी आ जाती है, क्योंकि, इस तरह की राजनीति व प्रशासनिक व्यवस्था के उदाहरण जो सबसे पहले मानस पटल पर उभरते हैं, वो हैं, जिनके बारे में यह भी बताया जाता है कि, वे कभी भी लोकप्रिय नहीं रहे, जैसे हिटलर, औरंगज़ेब, डॉनल्ड ट्रम्प, स्टालिन, माओ, वगैरह। चाहे उन्होंने कितने भी प्रयास किये हों, प्रशासनिक तंत्र व खजाने का उपयोग किया हो, जनता के बीच अपनी छवि को उज्ज्वल बनाने का।

राजस्थान में इस तरह का प्रयोग हाल ही में देखा गया था, कांग्रेस के प्रशासन में, मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार पूर्णतया व्यक्तिवादी थी। मु.मंत्री ने सत्ता के पूरे सूत्र अपने हाथ में रखे और इस तरह प्रशासन पर पूरा नियंत्रण उनका था। और पद्धति के दूसरे अध्याय का मूल मंत्र था, मंत्रियों को, विधायकों को खुश रखो, इसके लिये इन प्रतिनिधियों में

कुछ सत्ता बांटो, जिससे उनमें सामर्थ्य बने, सरकार का उपयोग कर, कुछ खाने-कमाने का। इसके अलावा प्रशासनिक मशीनी को खुल्लम-खुल्ला “मैसेज” दिया कि, विधायक ही अपने क्षेत्र का मु.मंत्री है। अतः प्रशासन को वो ही करना है, जो विधायक चाहता है।

इस नयी तरह की व्यवस्था के भयावह परिणाम हुए। पहली बात तो यह हुई कि, जनता, जन भावना गौण हो गयी। उदाहरण के लिये, छोटी-मोटी मछलियों से लेकर बड़े-बड़े मगरमच्छों ने भी परिस्थिति को समझते हुए, येन-केन-प्रकारेण विधायकों का संरक्षण प्राप्त कर लिया और मंत्री के इशारे पर पुलिस भी “पालतू” हो गयी तथा इन “क्रिमिनल्स” के अपराधों को अनदेखी ही नहीं करने लगी, बल्कि, इस अपराधों में “मूक” सहयोग प्रदान करने लगी। यह व्यवस्था, पांच साल में इतनी धर कर गयी कि, अब नयी सरकार को सामान्य रूप से ईमानदार, अपनी “इयूटी” के प्रति वफादार पुलिस अफसर दूढ़ना मुश्किल हो रहा है और अगर कुछ ऐसे अफसर मिल भी जायें

- इतिहास गवाह है, व्यक्तिवादी नेता किसी भी युग में रहे हों, कभी भी लोकप्रिय नहीं रहे, औरंगज़ेब, हिटलर, स्टालिन, माओ, डॉनल्ड ट्रम्प ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जिन्होंने जनता में लोकप्रियता पाने के लिए प्रशासनिक तंत्र और सरकारी खजाने का खुलकर “मिस यूज” तक किया।
- कांग्रेस के काल में राजस्थान की जनता ने गहलोत की व्यक्तिवादी राजनीति का कष्ट भोगा है। सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में रखने के लिए उन्होंने मंत्रियों, विधायकों को खुश करने का मंत्र अपनाया।
- उनके इसी मंत्र ने मंत्रियों व विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र का सर्वे सर्वा बना दिया, यहां तक कि, समूचा प्रशासनिक तंत्र इनके कदमों में जा बैठा।
- अब जब सरकार बदल गई तब स्थिति यह है कि, नई सरकार ऐसे अधिकारी व कर्मचारी तक नहीं दूढ़ पा रही है, जो ईमानदारी से अपने काम को करें, खासकर पुलिस विभाग में।
- यही कारण है कि, पेपरलीक, अवैध किडनी ट्रांसप्लान्ट जैसे मामलों में आधी-अधूरी जांच की जा रही है, जो कदापि कोर्ट में नहीं टिकेगी।

तो, इन अफसरों की अपनी टीम नहीं बन पा रही, जो जमीन पर सच्ची तपतीश कर सके, साक्ष्य इकट्ठे कर सके और ऐसा वॉटरटाइट केस तैयार कर सके, जो न्यायालय की “कानूनी” स्कूटीन सहकर, “क्रिमिनल” को सजा दिलावा सके। यही कारण है कि, पेपरलीक प्रकरण, किडनी ट्रांसप्लान्ट जैसे संगीन अपराधों में भी, लगे लगे हैं कि, ठोस काम नहीं हो रहा, बल्कि, “नीजक” निर्णय हो रहे हैं, जिनका आधार कोई ठोस साक्ष्य नहीं, जो कि गहरायी से की गयी तपतीश से प्राप्त किये गये हों। ऐसे मामले व चार्जशीट न्यायालय तुरंत ही बिना बहस के उठाकर कोर्ट के बाहर फेंक देगा।

सामान्य तौर पर ठीक-ठाक से पुलिस विभाग को विधायक व उन पर आश्रित “क्रिमिनल्स” की मर्जी पर छोड़ कर पुलिस का मनोबल तो दूटा ही, उसके पुनः स्वस्थ होने में कई दशक लगेंगे। जब विभाग को खोखला करने की प्रक्रिया चल रही थी, अशोक गहलोत के शासन में, उस समय जनता से कुछ कराहने की आवाजें जरूर उठीं, पर, गहलोत उनकी

अनदेखी इसलिये कर पाये क्योंकि, प्रशासन व सरकार व्यक्ति प्रधान, गहलोत प्रधान हो गया था, बाकी विधायक अपने हिस्से की रूट लेकर संतुष्ट थे।

यह हाल अगर पुलिस जैसे मजबूत, अनुशासित, युनिफॉर्म संगठन का हुआ तो, छोटे-मोटे जिला स्तर के अन्य विभाग, जैसे एक्साइज, फूड एण्ड सिविल सप्लायी, स्वास्थ्य, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट (नगर निगम आदि) का क्या हुआ, इसकी कल्पना ही तपतीश से प्राप्त किये गये हों। ऐसे मामले व चार्जशीट न्यायालय तुरंत ही बिना बहस के उठाकर कोर्ट के बाहर फेंक देगा।

सामान्य तौर पर ठीक-ठाक से पुलिस विभाग को विधायक व उन पर आश्रित “क्रिमिनल्स” की मर्जी पर छोड़ कर पुलिस का मनोबल तो दूटा ही, उसके पुनः स्वस्थ होने में कई दशक लगेंगे। जब विभाग को खोखला करने की प्रक्रिया चल रही थी, अशोक गहलोत के शासन में, उस समय जनता से कुछ कराहने की आवाजें जरूर उठीं, पर, गहलोत उनकी

केजरीवाल ने मैडिकल टैस्ट के लिए जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की

नई दिल्ली, 27 मई (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर कर अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत अवधि एक जून से सात दिन आगे बढ़ाने

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 2 जून को खत्म हो रही है, वे इसमें 7 दिन का विस्तार मांग रहे हैं।

की गुहार लगाई है। दिल्ली अबकारी नीति से संबंधित घनशोधन के एक मामले के आरोपी केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन सात किलोग्राम कम हो गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)